आईपीडीएस के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के बारे में दिशा-निर्देश

1.0 पृष्ठभूमि

1.1 भारत सरकार ने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वितरण अवसंरचना को मजबूत बनाने और संवर्धित करने में डिस्कॉम/बिजली विभागों के प्रयासों के अनुपूरण के लिए पूंजी व्यय के प्रति वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए समेकित विद्युत विकास कार्यक्रम (आईपीडीएस) शुरू किया है।

1.2 आईपीडीएस के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक उपयुक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की नियुक्ति वरीयतानुसार विद्युत संस्थावार तरीके से की जानी है जिससे कि उन्हें परियोजना प्रबंधन में सहायता दी जा सके और परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। विद्युत संस्थाएं चाहें तो बेहतर समन्वय, संचालनगत दक्षता तथा लागत को इष्टतम बनाने के लिए आईपीडीएस एवं डीडीयूजीजेवाई दोनों कार्यक्रमों के लिए एक ही परियोजना प्रबंधन एजेंसी की तैनाती कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, इनसे हितों का टकराव भी रोका जा सकेगा।

(क) किसी राज्य में एपीडीआरपी के तहत टीपीआईईए-ईए, टीपीआईईए-आईटी के रूप में नियुक्त कार्यान्वयन एजेंसियों की नियुक्ति उसी राज्य में पीएमए के रूप में नहीं की जा सकती।

(ख) पीएमए के रूप में नियुक्त एजेंसी को उसी राज्य में कार्यकारी एजेंसी (आईपीडीएस एवं डीडीयूजीजेवाई के तहत) के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(ग) लाभार्थी विद्युत संस्था स्वयं को या अपनी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों को पीएमए के रूप में नियुक्त नहीं करेंगे।

2.0 **पीएमए का वित्त पोषण:** कार्यक्रम के प्रावधान अर्थात् अनुमोदित परियोजना लागत या अवार्ड लागत, इनमें जो भी कम हो, का 5.5 प्रतिशत परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) पर खर्च किया जायेगा, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। पीएमए के रूप में नियुक्ति पर प्रावधान से अधिक खर्च विद्युत संस्था को स्वयं अपने संसाधनों से जुटाना पड़ेगा।

3.0 **नियुक्ति तंत्र:** विद्युत संस्था को एक उपयुक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की नियुक्ति करनी होगी जो उसे परियोजाओं तैयार करने, बोली प्रक्रिया कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर निगरानी निगरानी रखने में सहायता करेगी। पीएमए का मुख्य दायित्व विद्युत संस्था को सहायता प्रदान करना तथा योजनाओं से संबद्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। पीएमए की नियुक्ति इन योजनाओं के तहत नोडल एजेंसी से किसी भी निधि को जारी किये जाने की पूर्व शर्त होगी। विद्युत संस्थाएं अपनी नीति/दिशा निर्देशों के अनुसार किसी सीपीएसयू को या खुली बोली के जरिए पीएमए की नियुक्ति कर सकती हैं।

4.0 दायित्वों, जिम्मेदारियों, शुल्कों की संवितरण शर्तों एवं अन्य पहलुओं के लिए व्यापक फ्रेमवर्क नीचे दिया गया है, लेकिन यह इन्हीं शर्तों तक सीमित नहीं है। विद्युत संस्थाएं पीएमए का दायरा निम्नांकित से आगे बढ़ा सकती हैं, लेकिन पीएमए के लिए भारत सरकार की सहायता अनुमोदन लागत या अवार्ड लागत, इनमें से जो भी कम हो, के 0.5 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। प्रावधान से अधिक खर्च विद्युत संस्था को स्वयं अपने संसाधनों से जुटाना पड़ेगा।

5.0 कार्यों का दायरा

सेवाओं का निर्देशात्मक दायरा निम्नांकित अनुसार होगा:

I. परियोजना तैयार करना (ऐच्छिक)

(क) जरूरत मूल्यांकन दस्तावेज तैयार करना

(ख) डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।

II. बोली प्रक्रिया पर निगरानी और समन्वय (अनिवार्य):

(क) टर्नकी संविदाकार की नियुक्ति के लिए निविदा दस्तावेज तैयार करने में विद्युत संस्थाओं की सहायता

(ख) निविदाओं की बोली प्रक्रिया (बोली पूर्व बैठकों आदि समेत) एवं तकनीकी मूल्यांकन में विद्युत संस्थाओं की सहायता करना।

(ग) अवार्ड पत्र तैयार करने और संबंधित गतिविधियों में सुविधा केन्द्रों की सहायता करना।

III. परियोजना आयोजना एवं कार्यान्वयन (अनिवार्य):

(क) टर्नकी संविदाकारों के सहयोग से व्यापक कार्यान्वयन कार्यसूची तैयार करने में वितरण कंपनियों की सहायता करना।

(ख) परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियों में समन्वय और निगरानी

(ग) कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर हर महीने डीपीआर वार निगरानी करना, समेकित रिपोर्ट तैयार करना और उसे विद्युत संस्था को सौंपना ताकि वह उसे नोडल एजेंसी के पास भेज सके।

(घ) परियोजना कार्यान्वयन में संभावित बाधाओं की पहचान और विद्युत संस्था एवं ठेकेदार के परामर्श से सुधार की कार्य योजना तैयार करना।

(ङ) विद्युत संस्था के परिसंपत्ति रजिस्टर से परिसंपत्तियों के सृजन को प्रमाणित करने में सुविधा केन्दों की सहायता।

(च) नोडल एजेंसी से निधि जारी करने के लिए विद्युत संस्था के दावे की अनुशंसा करना। परियोजना के समय पर पूरे हो जाने के लिए अनुशंसा में व्यय, प्रगति एवं बाधाओं, अगर कोई हो, पर एक रिपोर्ट भी होनी चाहिए।

(छ) दिशानिर्देशों के अनुरूप, अनुशंसा के साथ परियोजना के समापन एवं इस पर हुए खर्च से संबंधित एक रिपोर्ट नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करें।

(ज) परियोजनाओं के समर्पित बैंक खातों में निधियों के प्रवाह के पर्यवेक्षण में सुविधा केन्द्र की सहायता करना

IV. गुणवत्ता निगरानी (अनिवार्य)

(क) विद्युत संस्था के अनुमोदन के साथ एक गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) योजना तैयार करना

(ख) वर्तमान में जारी/संपन्न कार्यों की क्षेत्र गुणवत्ता जांच

(ग) नमूना आधार पर अर्थात (पोल, कंडक्टर, मीटर, ट्रांसफार्मर, केबल आदि) पर बड़ी सामग्रियों का 10 प्रतिशत स्थल पर सामग्री की संयुक्त जांच (राज्य विद्युत संस्था के प्रतिनिधि के साथ)

V. एमआईएस एवं वेब पोर्टल को अपडेट बनाना (अनिवार्य):

(क) विद्युत संस्था/नोडल एजेंसी वेब पोर्टल पर सूचना को समय पर अपडेट बनाने में सुविधा केन्द्रों की सहायता करना।

(ख) डिस्कॉम के परियोजना प्रबंधन प्रकोष्ठ को सावधिक रिपोर्टिंग

(ग) त्रैमासिक आधार पर विद्युत संस्था स्तर एटी एंड सी डाटा का संकलन एवं विश्लेषण

(घ) ऐसा कोई अन्य कार्य, जिसकी आवश्यकता योजना के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए पड़ सकती है।

VI. नोडल एजेंसी/एमओपी के साथ समन्वयन एवं ऐसा कोई अन्य कार्य, जिसकी आवश्यकता योजना के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए पड़ सकती है।

6. नियुक्ति की अवधि

पीएमए की नियुक्ति की अवधि (6+24+3=33) महीनों के लिए होगी, अर्थात 6 महीने परियोजना संरूपण एवं अधिनिर्णय के लिए, योजना के तहत कार्यों के समापन के लिए 24 महीने तथा कार्यों के संपन्न होने के बाद, जब सुविधा केन्द्र के सभी डीपीआर एक ही बार में सुविधा केन्द्र द्वारा प्रस्तुत कर दिये जाते हैं तथा निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित कर दिये जाते हैं, के लिए 3 महीने। अगर डीपीआर की प्रस्तुति एवं अनुमोदन चरणबद्ध तरीके से होता है, तो नियुक्ति की अवधि सुविधा केन्द्र के डीपीआर के पहले और अंतिम

अनुमोदन के बीच के समय अंतराल को समायोजित करने के लिए उपयुक्त तरीके से संशोधित कर दी जाएगी। कार्यों के निष्पादन में 24 महीने से अधिक विस्तार के मामले में पीएमए की सेवाएं अनुकूल रूप से सुविधा केन्द्रों द्वारा विस्तारित कर दी जाएंगी, तथापि अनुदान की मात्रा प्रावधान के अनुरूप सीमित रहेगी और किसी भी अतिरिक्त लागत का वहन संबंधित सुविधा केन्द्र द्वारा किया जाएगा।

7. स्थापना एवं समन्वयन

पीएमए को पूरे अंचल/जिले में परियोजना का निरीक्षण करने के लिए आवश्यकता के आधार पर नियमित रूप एवं अंचल/जिला स्तर पर सुविधा केन्द्र मुख्यालय पर आवश्यक श्रम बल, वाहनों एवं अन्य अवसंचनाओं की नियुक्ति समेत अपने कार्यालयों की स्थापना करनी होगी और रोजाना के कार्यों के लिए विद्युत संस्था एवं संविदाकार के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना होगा।

8. पीएमए के लिए भुगतान शर्तें

भुगतान के लिए निर्देशात्मक शर्तें निम्नलिखित हो सकती हैं:

(क) अग्रिम जुटाई गई राशि का 10 प्रतिशत

(ख) परियोजना की उल्लेखनीय (विद्युत संस्था द्वारा फैसला किये जाने वाले) उपलब्धियों के आधार पर चरणबद्ध तरीके में 80 प्रतिशत

(ग) शेष 10 प्रतिशत राशि कार्यों के समापन के 3 महीनों के बाद तथा नोडल एजेंसी द्वारा सुविधा केन्द्र को अनुदान की अंतिम किस्त के पश्चात जारी की जा सकती है।

(घ) विद्युत संस्था विलंब के कारण होने वाले भुगतान की शर्तों को अनुकूल तरीके से समाविष्ट कर सकती है जिसके लिए पीएमए की विस्तारित सेवाओं द्वारा प्रयास किये जाने की आवश्यकता होगी।